

प्रशासनिक अनुभाग जनपद न्यायाधीश, सम्मल, स्थित चन्दौसी।

प्रशा0 आदेश संख्या : 150/2020,


दिनांक-16.07.2020

आदेश

जिलाधिकारी, सम्मल की ओर से अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), जनपद सम्मल के ई-मेल के माध्यम से प्राप्त पत्र सं0-3043 दिनांकित-09.07.2020 के अनुसार जनपद न्यायालय सम्मल स्थित चन्दौसी को दिनांक-19.07.2020 तक कन्टेनमेन्ट जोन में बने रहना दर्शाया गया था, जिसके आधार पर जनपद न्यायालय, सम्मल स्थित चन्दौसी पूर्व प्रशासनिक आदेश सं0-148/2020, दिनांकित-10.07.2020 के अनुसार दिनांक-19.07.2020 तक बन्द है। पुनः दिनांक-13.07.2020 को जिलाधिकारी, सम्मल की ओर से अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), जनपद सम्मल के ई-मेल के माध्यम से प्राप्त पत्र सं0-3051/रीडर/कोविड-19/सूचना/2020-21 दिनांकित-12.07.2020 के अनुसार श्रीमती पुष्पा पाठक पत्नी श्री विनोद कुमार, निवासी मुन्सिफ रोड(जनपद न्यायालय, सम्मल स्थित चन्दौसी परिसर से 200 मीटर की दूरी के अन्तर्गत) का सैम्पल जांच हेतु दिनांक-09.07.2020 को लिया गया था, जिनकी जांच रिपोर्ट दिनांक-11.07.2020 को कोरोना पॉजिटिव प्राप्त हुई। अन्तिम घनात्मक रोगी श्रीमती पुष्पा पाठक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के आधार पर आख्या दी गयी है कि शासनादेश सं0-1324/सेक-पॉंच-5-2020, दिनांक 23 जून 2020 के अनुसार अन्तिम घनात्मक रोगी के सैम्पल कलैक्शन की तिथि से 14 दिन तक, यानि दिनांक-22.07.2020 तक जनपद न्यायालय, सम्मल स्थित चन्दौसी कन्टेनमेन्ट जोन में बना रहेगा। उपरोक्त पत्र के साथ जिलाधिकारी, सम्मल को सम्बोधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सम्मल के उपरोक्त आशय के पत्र दिनांकित-12.07.2020 की प्रति भी संलग्न की गयी है।


अतः जिलाधिकारी, सम्मल की ओर से प्राप्त उपरोक्त पत्र सं0-3051 दिनांकित-12.07.2020 के आधार पर, माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0-1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 03-06-2020 के पैरा सं0-14 में दिए गए निर्देशानुसार, जनपद न्यायालय, सम्मल स्थित चन्दौसी दिनांक-22.07.2020 तक कन्टेनमेन्ट जोन में बने रहने के कारण बन्द रहेगा तथा गिरफ्तार व्यक्तियों के रिमाण्ड एवं बेल के मामलों से संबंधित कार्य उसी प्रकार किया जायेगा, जैसे कि अवकाश के दिनों में किया जाता है।

इस आदेश की प्रति जनपद न्यायालय, सम्मल स्थित चन्दौसी की वेबसाइट पर अपलोड की जाये।


(अश्विनी कुमार त्रिपाठी)
जनपद न्यायाधीश,
सम्मल स्थित चंदौसी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त पीठासीन न्यायिक अधिकारीगण,
2. जिलाधिकारी, सम्मल,
3. पुलिस अधीक्षक, सम्मल,
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्मल
5. अध्यक्ष/सचिव, चन्दौसी, बार एसोसिएशन, चन्दौसी, (सम्मल)
6. अध्यक्ष/सचिव, व्यवहार एवं सत्र बार एसोसिएशन, चन्दौसी, जिला सम्मल,
7. जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी), सम्मल,
8. संयुक्त निदेशक अभियोजन, सम्मल,
9. अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद।


जनपद न्यायाधीश,
सम्मल स्थित चंदौसी।